संख्या-98/2017/1883/सैंतीस-2-2017-1(17)/2016

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-20 नवम्बर, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2403-पशुपालन के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन में स्वीकृत धनराशि से पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1699/सा0-2/27/309/2017-18, दिनांक-16.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-20/2017/534/सैंतीस-2-2017-1(17)/2016, दिनांक-21.04.2017 द्वारा मानक मद 14-कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाडियों का क्रय में स्वीकृत रू0-6.25 लाख की धनराशि के सापेक्ष पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों पर 01 टाटा जेस्ट एक्सएम क्यूजेटी 75पीएस, बी.एस.-4, डीजल कार के क्रय हेतु रू0-5,98,720.00 (रूपये पाँच लाख अठ्ठान्नवे हजार सात सौ बीस मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी.जी.एस. एण्ड डी. के नये जी.ई.एम. पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(5) प्रश्नगत वाहन क्रय हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपरोक्त धनराशि का व्यय पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(8) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो, अर्थात् क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन -001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 14-कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-787/दस-2017, दिनांक-06.11.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-98/2017/1883(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।